उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1
संख्या-706/X-2- 005-9(21)/2005
देहरादून: दिनांक 12 दिसम्बर, 2005

संकल्प

उत्तरांचल वृक्षारोपण नीति, 2005

1. प्रस्तावना

1.1 प्रदेश में वृक्षारोपण कार्य का एक पुराना इतिहास है. स्वतंत्रता से पूर्व प्रदेश के वनों की सघनता के कारण वृक्षारोपण केवल सीमित क्षेत्रों में ही अधिकांश तौर पर बीजरोपण तथा कुछ क्षेत्रों में पौधारोपण के माध्यम से ही किये जाते रहे. स्वतंत्रता के पश्चात विशेष रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना से वृक्षारोपण की आवश्यकता महसूस करते हुए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजनायें बनाई गई.

1.2 उत्तरांचल वन विभाग जो उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश का ही अंग था, उतना ही पुराना है जितना भारतवर्ष में वनों का वैज्ञानिक प्रबन्धन. उत्तरांचल के गठन के समय वन विभाग उत्तरांचल द्वारा कार्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लगभग वे ही नीतियां स्वीकार की गई जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी. अब उत्तरांचल बने हुए लगभग साढ़े चार वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है. भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई जो उत्तरांचल सहित सभी राज्यों में लागू है. राज्य में मैदानी से लेकर हिमाच्छादित चोटियों वाले क्षेत्रों के कारण वानस्पतिक विविधता है. यहाँ के वन उत्तरांचल राज्य के साथ-साथ पूरे देश के पारिस्थिकी एवं पर्यावरण को संतुलित करते हैं. इस आलोक में उत्तरांचल की वर्ष 2001 में राज्य वन नीति प्रतिपादित की गई. वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं. उदाहरण के लिए ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान,भूमि संरक्षण,नगर विकास, जलागम विभाग व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करते हैं इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर सरकारी संगठन (NGOs) भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण करते हैं. उक्त सभी विभागों द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपण योजनाओं में समरूपता के दृष्टिकोण से एक समग्र वृक्षारोपण नीति लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है

2. वृक्षारोपण नीति की दृष्टि (Vision)

आधुनिक वृक्षारोपण तकनीकों द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्र में तथा विद्यमान वनों के घनत्व/वानस्पतिक निधि में वृद्धि कर प्रदेश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की सतत् पूर्ति करते हुए प्रदेश, देश व विश्व को पर्यावरणीय सुविधायें उपलब्ध कराना.

3. मूल उद्देश्य

3.1 प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभिन्न विभागों/ संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं को समन्वित कर समरूपता लाना.

3.2 समस्त प्रकार की अवनत व रिक्त वन भूमि में वनस्पति में वृद्धि कर वनों के घनत्व/कुल वानस्पतिक निधि में वृद्धि करना.

3.3 ग्रामीणों की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज एवं इमारती लकड़ी की स्थानीय परेलू माँग की पूर्ति हेतु उचित प्रजातियों का चयन कर रोपण करना.

..2

3.4 प्राकृतिक वनों में वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित कर इन्हें विकसित करने हेतु विशेष उपाय करना.

3.5 वृक्षारोपण कार्य को गरीब निर्बल वर्ग के लोगों के लिए रोजगार-परक बनाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपाय करना.

3.6 उपरोक्त सिद्धान्तों की प्रतिपूर्ति के लिये वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए इनका वास्तविक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन करना.

4. पृष्ठभूमि

4.1 उत्तरांचल भारत उपमहाद्वीप की अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है. इन नदियों ने हमारी सभ्यता को एक विशिष्ट पहचान दी है. वृक्षारोपण का एक प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ वातावरण बनाये रखते हुए इसके माध्यम से इन महत्वपूर्ण नदियों के जल समेट क्षेत्र की हाइड्रोलोजी (Hydrology) संतुलित रखना है, जिससे बहुमूल्य मिट्टी की उपरी उपजाऊ सतह का क्षरण रोका जा सके तथा जल की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता में उपलब्धता बनी रहे.

4.1.1 आधुनिक तकनीकी से वृक्षारोपण द्वारा वनों में सम्वर्धन कार्य से अपने भू-भाग का एक बड़ा हिस्सा हरित आवरण के रूप में बनाये रखने से जहाँ उत्तरांचल जैसे राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा अंश व्यय होता है, वहीं इन वनों के दोहन पर विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण इनका सीधा लाभ स्थानीय समुदायों को नहीं मिल पाता है.

4.1.2 ऐसी वनावली के पर्यावरणीय लाभ पूरे क्षेत्र व राष्ट्र को प्राप्त होते हैं, जबकि इसे बनाये रखने में वहाँ के स्थानीय समुदायों को आर्थिक विकास के अनुपलब्ध अवसरों के सापेक्ष अत्यन्त मूल्य चुकाना पड़ता है.

4.1.3 यह उचित होगा कि उत्तरांचल राज्य के वनों द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान कर केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले विभिन्न कोषों के अंश निर्धारण में इसका भी पूर्ण संज्ञान लिया जाय.

4.1.4 क्योटो संधि (प्रोटोकोल) द्वारा परिकल्पित क्लीन डेवलपमेन्ट मैकेनिज्म (C.D.M.) व्यवस्था के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट्स (Carbon Credits) प्राप्त करने हेतु परियोजनायें तैयार की जायें.

4.1.5 वन आवरण में वृद्धि मुख्यतः दो प्रकार से की जा सकती है :

(1) वन क्षेत्र में वृद्धि :

(2) विद्यमान वनों के घनत्व/समग्र वन निधि (ग्रोइंग स्टाक) में वृद्धि.

उत्तरांचल पूर्व से ही वन बाहुल्य क्षेत्र है. प्रारम्भ में वन प्रबन्ध की नीतियों के अन्तर्गत आवरण वृद्धि का आधार मुख्यतः प्राकृतिक पुनरोत्पादन रहा है, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात बड़े पैमाने पर कृत्रिम रोपण की योजनायें कार्यान्वित हुई हैं. विभिन्न कार्य योजनाओं के अन्तर्गत इन दोनों विधियों से पुनर्जनन कार्य का प्राविधान किया

गया एवं तदनुसार कार्य सम्पादित किये गये. वर्ष 1980 से 90 के दशक में कृत्रिम वृक्षारोपण वृहद रूप से सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में लागू हुई. इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के वृक्षारोपण स्थापित किये गये. पर्वतीय भू-भाग में इसके अतिरिक्त नदी घाटी जलागम क्षेत्रों के उपचार संबंधी परियोजनाओं में भी प्रचुर मात्रा में वृक्षारोपण कार्य किया गया है.

4.2 उत्तरांचल के गठन से पूर्व विश्व बैंक पोषित वानिकी परियोजना के मूल्यांकन के दौरान यह अनुभव किया गया कि वृक्षारोपणों को और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने हेतु इनमें गुणात्मक सुधार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है. इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि नीति में वृक्षारोपण हेतु तकनीकी पहलुओं के साथ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का भी समावेश किया जाय ताकि वृक्षारोपण की सफलता तथा उत्पादन दोनों में ही वृद्धि हो सके.

4.3 प्रारम्भिक दशकों में वृक्षारोपण कार्य बहुत अल्प पैमाने पर किये जाते थे. ये वृक्षारोपण अधिकांशतः अच्छी तथा सुरक्षित भूमि पर गहन देखभाल के अन्तर्गत होता था, जिसमें इनकी गुणात्मक सफलता सुनिश्चित रहती थी. वर्तमान में अब केवल अवनत एवं अनुपयुक्त क्षेत्र ही रोपण के लिए उपलब्ध होते है जिनकी स्थलीय गुणवत्ता (Site Quality) अच्छी नहीं है. जैविक दबाव अत्यधिक है तथा अधिकतर क्षेत्र में नमी बहुत कम है. ऐसी स्थिति में पुरानी बीजारोपण अथवा पौधारोपण की तकनीक के सापेक्ष अब नयी पद्धति अपनाने पर विचार की आवश्यकता है. यद्यपि पुनरोत्पादन हेतु कई स्थानों पर प्राकृतिक रूप से रूट स्टॉक उपलब्ध होता है, परन्तु अधिक जैविक दबाव के कारण पुनर्जनन नहीं हो पाता है. ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी एवं दीर्घकालिक सुरक्षा की आवश्यकता है.

4.4 राज्य के अन्तर्गत वर्तमान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम पुनरोत्पादन हेतु आरक्षित वन, सिविल सोयम वन, पंचायती वन, सामुहिक एवं निजी बंजर भूमि, सड़क, नहर तथा रेलवे की पट्टियों आदि प्रकार की भूमि उपलब्ध होती है. आरक्षित वनों के अवनत/खाली क्षेत्रों में विभिन्न कार्य योजनाओं के अन्तर्गत पुनरोत्पादन हेतु क्षेत्र इंगित रहते है तथा योजनाबद्ध तरीके से इनका उपचार किया जाता है. परन्तु सिविल सोयम वन तथा अन्य प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इनका सघन एवं दूरगामी प्रबन्ध अति आवश्यक है.

4.5 अधिकतर वन/वृक्षारोपण क्षेत्र अत्यन्त आबादी से घिरे हुए है जिनमें ईंधन, चारा एवं चराई का अत्यधिक दबाव होता है. जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसमें चराई का दबाव बढ़ रहा है. ऐसी स्थिति में कोई भी पुनरोत्पादन कार्य की सफलता बिना आसपास की निवासियों के सहयोग लिये संभव नहीं है. अतः यह कार्य जन आंदोलन के रूप में जन सहयोग/सहभागिता के माध्यम से ही सम्पादित किया जा सकता है.

4.6 उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक एवं टोपोग्राफिकल विविधता के कारण वानस्पतिक संरचना में भी प्रचुर विविधता है. मैदानी भू-भाग में साल, शीशम से लेकर पर्वतीय क्षेत्र में चीड़, बांज आदि के साथ उच्च स्थलीय पर्णपाती प्रजातियाँ विद्यमान है. साथ ही बहु-उपयोगी प्रजातियाँ विभिन्न वितानों (Storeys) में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है. इनमें कई प्रजातियों का उपयोग स्थानीय लोगों के साथ-साथ उद्योगों द्वारा भी किया जाता है. अतः वृक्षारोपण की नीति में इस बहु-आयामी उपयोग को भी दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है.

4.7 प्रदेश वन्य जन्तु बाहुल्य क्षेत्र है एवं इनके संरक्षण में अग्रणी है. इस जैव विविधता को बनाये रखने में वनों का संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है. साथ ही वन्य पशुओं की उपयोगिता को भी दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त आवास, संरक्षण/विकास पर ध्यान देना अत्यावश्यक है.

4.8 पुनरोत्पादन/कृत्रिम वृक्षारोपण कार्यों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने हेतु राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न वित्त पोषित योजनायें हैं. इन योजनाओं में यद्यपि उद्देश्यों की विविधता होती है, परन्तु वृक्षारोपण क्षेत्रों की समग्र रूप से सफलता को उच्च प्राथमिकता दी जाती है. इनके प्राविधानों में एक समन्वयन आवश्यक है. इसके लिए विभिन्न प्रजातियों के रोपण के तकनीकी मापदण्ड, विविध कार्यों की दरें, संरक्षण/सुरक्षा आदि तथा तकनीकी एकरूपता की आवश्यकता है. इन सब आयामों में नवीनतम तकनीकी, यथा पौध तैयार करने की रूट ट्रेनर विधि, क्लोनल तकनीक, आदि को व्यापक पैमाने पर अपनाना आवश्यक है

4.9 राज्य का तराई, भाबर क्षेत्र उत्पादन वानिकी हेतु अग्रणी रहा है. यहीं से ही वन्य उत्पाद, विभिन्न काष्ठ-आधारित उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है. इस कार्य में तराई क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अनुपयोगी घासों पर नियंत्रण की विधियों में आधुनिक परिपेक्ष्य में बदलाव लाना भी श्रेयस्कर होगा. उत्पादन वानिकी में प्रजाति चयन, प्रबन्ध नीति परिवर्तन तथा उपयोग की दृष्टि से अधिक उत्पादन को लक्षित करना अपरिहार्य होगा.

4.10 हिमालयन क्षेत्र भू-गर्भीय व ढाल की दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण वहां पर भूमि व जल संरक्षण की दृष्टि से भी रोपण आवश्यक होगा. ऐसे कार्य छोटे-छोटे जल स्रोतों के वानस्पतिक व अभियान्त्रिक, संयुक्त उपचार से ही सफल हो सकेंगे. इनमें वृक्ष के विभिन्न वितानों (Storeys) के साथ-साथ झाड़ियों व घासों का व्यापक उपयोग अपरिहार्य होगा.

4.11 जैविक विविधता के फलस्वरूप राज्य के वनों तथा इससे बाहर औषधि एवं सगन्ध पादप प्रचुर मात्रा में पाए जाते है., परन्तु इनके रोपण के माध्यम से विकास की भी अहम भूमिका है. इन प्रजातियों को समग्र रूप से वृक्ष आदि प्रजातियों के साथ-साथ उगाने/विकास का प्रयास करना होगा.

4.12 कुटीर उद्योग तथा विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों में प्रतिस्थापन हेतु कई प्रजातियों यथा बांस, रेशा, जैट्रोफा, औषधीय व सगन्ध पौधों एवं घासों का विशेष महत्व है. प्रदेश में यथा उपयोगी क्षेत्रों में इनका रोपण किया जायेगा

4.13 प्रदेश में वनों से जुड़ी हुई कई परम्परागत एवं बाद में विकसित संस्थाओं का इतिहास है, जो वन संरक्षण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विशेषतः वन पंचायतें सभी कार्यों में विशेष योगदान कर सकती है. इन्हें वृक्षारोपण कार्यों से सक्रिय रूप से जोड़ना लाभकारी होगा.

5. लक्ष्य

5.1 भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2003 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के समस्त भू-भाग के 64.81 प्रतिशत भू-भाग [illegible] अभिलिखित वन क्षेत्र है एवं 45.7 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है. यह राष्ट्र के वनावरण का 3.61 प्रतिशत [illegible] विभिन्न वन आवरण की कैटेगरी के अनुसार 4002 वर्ग किमी० में अत्यन्त सघन वन (70% से अधिक वितान [illegible] 11120 वर्ग किमी० में सामान्य सघन वन (40 से 70% से अधिक वितान) है. इस प्रकार कुल 18472 [illegible]

किमी० सामान्य वन है जो वन आवरण का 79.3 % है. 5045 वर्ग किमी० में खुले वन (10% से कम वितान [illegible] स्थित है, जो कुल वन आवरण का 24.7% है. इस प्रकार राज्य में वृक्ष आवरण [illegible] वृक्ष आवरण का 1.07 प्रतिशत है.

5.1.1 उत्तरांचल में 64.81 प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 45.74 प्रतिशत है. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत Hill Areas के लिए 66 % वनाच्छादन का लक्ष्य है.

5.1.2 इसी प्रकार प्रदेश के 14422 वर्ग किमी0 सामान्य सघन वन को अत्यन्त सघन वन तथा 6043 वर्ग किमी0 खुले वन को सामान्य अथवा अत्यन्त सघन वन में परिवर्तित किया जा सकता है.

5.2 उपरोक्त तथ्यों को ध्यानगत रखते हुए आगामी 10 वर्षों में सघन वनों के वर्तमान 18422 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कर 20000 वर्ग किमी0 की जा सकती है. उसी प्रकार रिक्त / अवनत रूप में उपलब्ध वन भूमि, गैर वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि में अगले 20 वर्षों में लगभग 5000 वर्ग किमी0 में वृक्षारोपण किया जा सकता है. इस हेतु सभी विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा.

6. रणनीति

6.1 वन विभाग की भूमिका:

वन विभाग, उत्तरांचल वन नीति, 2001 तथा वृक्षारोपण नीति, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नियोजन, समन्वयन तथा अनुश्रवण एजेन्सी होगा. राज्य के जलागम विभाग, पंचायतीराज विभाग, ऊर्जा विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों की जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके साथ वन विभाग के विभिन्न कार्यों का समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा. उक्त सभी विभाग इस सम्बन्ध में वन विभाग से सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे.

6.2 वन आवरण में वृद्धि:

प्राकृतिक पुनरोत्पादन/वनीकरण के माध्यम से, मृदा को ध्यान में रखते हुए, हरित आवरण में वृद्धि हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाई जायेगी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जन सहयोग तथा विभिन्न विभागों के सम्मिलित प्रयासों से इसे क्रियान्वित किया जायेगा.

6.3 वृक्षारोपण के मूल उद्देश्यों एवं वितमान वनस्पति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पूरे भू-भाग को निम्न प्रकार तीन क्षेत्रों (Region) में बांटा जा सकता है.

मैदानी/तराई भाबर क्षेत्र (Plains/Terai Bhabar Region): इसमें मुख्यतः साल, शीशम, आदि के प्राकृतिक वन तथा यूकेलिप्टस, पौपलर, सागौन आदि के वृक्षारोपण हैं. इन क्षेत्रों को प्राथमिकता पर उत्पादन वानिकी हेतु प्रबन्धित किया जायेगा.

मध्य हिमालयन क्षेत्र (Middle Himalayan Region): यह क्षेत्र सामान्यतया चीड़, बांज आदि प्रजातियुक्त है. इन क्षेत्रों में विविध प्रयोजनों (Multi Purpose Plantation) हेतु कार्य प्रबन्धित किया जायेगा.

उच्च स्थलीय/उप-हिमार्द्र क्षेत्र (High altitude/Subalpine Region): इस क्षेत्र में जुनीपर्स, भोजपत्र आदि प्रजाति हैं जिन्हें वन आवरण में वृद्धि हेतु लिया जायेगा.

6.4 रोपण हेतु प्रजातियों का वर्गीकरण : अलग-अलग क्षेत्रों (Region) में पर्यावरणीय महत्व तथा स्थानीय उपयोगिता,
एवं विपणन [illegible] को दृष्टिगत रखते हुए स्थल की उपयुक्ततानुसार विविध [illegible] प्रजातियों का रोपण निम्न
प्रकार किया जायेगा :

प्रजातियों का मिश्रण :

20 प्रतिशत

1. उच्च [illegible] (मुख्य प्रजाति)
2. [illegible] एवं [illegible] मिश्रण (आवश्यक प्रजातियां ईंधन, चारा,
   औषधीय, [illegible], फल, खाद्य-सम्पूरक
   (Food Supplement), बांस, वैकल्पिक ईंधन आदि) 80 प्रतिशत

[illegible] का अनुपालन : प्रदेश में संचालित [illegible] योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपणों में उपलब्धतानुसार मिश्रण को ध्यान
में रखते हुए प्रजातियों का चयन किया जायेगा।

[illegible] उपलब्धता के आधार पर व्यापक एवं सघन वृक्षारोपण
6.5 कृषि वानिकी : क्षेत्र में पारिस्थितिक (इको सिस्टम) [illegible] उपलब्धता के आधार पर व्यापक एवं सघन वृक्षारोपण
किया जायेगा. पर्वतीय क्षेत्र में गैर प्रकाष्ठीय वन उपज, जड़ी-बूटी तथा मैदानी क्षेत्र में औद्योगिक प्रजाति एवं
सामान्य पौधों को निजी भूमि में कृषिकरण हेतु बल दिया जायेगा.

6.6 जनसहभागिता : वृक्षारोपण के कार्य में निजी एवं राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन पंचायतों,
ग्राम पंचायतों एवं [illegible] सरकारी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी.

6.7 वन [illegible] हरित पट्टी विकास : ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक स्थलों पर वन [illegible] की स्थापना की
जायेगी. इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं मार्गों में छायादार एवं शोभाकार प्रजातियों के
वृक्षारोपण द्वारा इन मार्गों पर हरित पट्टी विकसित कर हरित आवरण में वृद्धि की जायेगी.

6.8 शहरी क्षेत्रों में नगरीय वन/राष्ट्रीय/राज्य मार्ग एवं नहरों के किनारे रोपण :

6.8.1 नगरीय वन (City Forest) - नगर निकायों के सहयोग से शहरों के मध्य/निकट स्थित वन भूमि पर वन
[illegible] का गठन कर, वन संरक्षण तथा संवर्धन का कार्य किया जायेगा, जिसका प्रयोग नागरिक भ्रमण क्षेत्र के
रूप में [illegible] सकें.

6.8.2 हरित पट्टी (Green Belt) - औद्योगिक एवं नगरीय अवस्थापना के नियमों के अन्तर्गत हरित क्षेत्र तथा
निकाय भूमि पर हरित क्षेत्र के विकास के लिए उपक्रमों तथा मोहल्ला समितियों का सहयोग लिया जायेगा.

6.8.3 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण - मैदानी क्षेत्र में पीपल, बरगद आदि तथा पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों से ऊपर की ओर
बांस आदि भू-क्षरण रोकने वाली प्रजातियां एवं नीचे की ओर उच्च [illegible] के वृक्ष रोपित किये जायेंगे.

6.9 नदियों/नालों के किनारे रोपण : ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त भू-क्षरण रोकने वाली प्रजातियों के पौधों के
रोपण पर बल दिया जायेगा.

6.10 आरक्षित वनों में वृक्षारोपण : प्रस्तर 6.3 तथा 6.14 की नीति का पालन किया जायेगा.

6.11 **आरक्षित वनों से बाहर वृक्षारोपण :** प्रस्तर 6.3 की नीति का पालन किया जायेगा.

6.12 **खाल, चाल तथा तालों का विकास :** प्रत्येक वृक्षारोपण के क्षेत्र में आने वाले खाल, चाल तथा तालों के जल समेट क्षेत्र (Catchment Areas) का संरक्षण एवं विकास करना आवश्यक होगा तथा इनके आकार के अनुरूप उपलब्ध धनराशि का भाग इस कार्य के लिए आवंटित किया जायेगा.

6.13 **क्षेत्र विशिष्ट योजना (Site Specific Plan) :**

सभी वृक्षारोपण योजनाओं में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट योजना (S.S.P.) का निर्माण आवश्यक होगा जो स्थान विशेष की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित की जायेगी. इस योजना में क्षेत्र विशेष की मूल जानकारी (Basic data) के अतिरिक्त उसकी समस्यायें, समाधान तथा पर्यावरण विश्लेषण पर टिप्पणी होगी. इसका अनुमोदन सक्षम स्तर से कराया जायेगा.

6.14 **वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा :**

6.14.1 **आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर :** वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा यथासंभव वन पंचायतों के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी. इनमें सक्रिय समितियाँ नामित कर उनसे लम्बी अवधि की सुरक्षा का आपसी करार (M.O.U) कराया जा सकता है.

6.14.2 आरक्षित वन क्षेत्रों के अन्तर्गत वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा पांच वर्ष के लिए की जायेगी. लेकिन संवेदनशील/मृदा रहित (Refractory) एवं गांवों के किनारे स्थित क्षेत्रों में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के अनुमोदन के पश्चात् सक्रिय समितियां नामित कर उनसे लम्बी अवधि की सुरक्षा का आपसी करार (M.O.U.) कराया जा सकता है.

6.14.3 सुरक्षा हेतु यथासंभव स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग, जैविक सुरक्षा बाड़ आदि विधियों को उपयोग में लाया जायेगा. अपरिहार्य स्थिति में ही दीवालबंदी/तारबंदी की जायेगी.

6.15 पौधशालाओं में आधुनिक पद्धति से पौध तैयार की जायेगी तथा समस्त वृक्षारोपण आधुनिक पौधालय तकनीक से उगाये गये उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों से किये जायेंगे. पूर्व में क्षेत्र के विद्यमान रूट-स्टॉक का अधिक उपयोग किया जायेगा. महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीज आदि की आपूर्ति सिल्वा/अनुसंधान द्वारा की जायेगी. केवल प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लाया जायेगा.

6.16 वन पंचायत पौधशालाओं का विकास : वन पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीणों के सहयोग से पौधशालायें निर्मित की जायेंगी, जिनमें तकनीकी सहयोग वन विभाग द्वारा किया जायेगा.

6.17 **जल-संचय साधन :** प्रत्येक क्षेत्र में समुचित नमी कायम रखने हेतु वर्षा जल-संचय साधनों (Rain water harvesting) को बढ़ावा दिया जायेगा. इस हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा प्रतिपादित नवीनतम/प्रमाणित विधियों को उपयोग में लाया जायेगा.

6.18 **वनीकरण हेतु उपलब्ध क्षेत्रों का सूचीकरण :** राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इण्डिया सॉयल एण्ड लैण्ड यूज सर्वे (A.I.S.L.U.S.) द्वारा भूमि का इसकी उपयोगिता के अनुसार सर्वेक्षण क्षमतानुसार किया गया है. वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्रों का सूचीकरण करते समय इस सर्वेक्षण का लाभ लिया जा सकता है. समस्त क्षेत्रों की श्रेणीवार सूची बनाकर प्रजातियों के चयन तथा क्षेत्रों की उपलब्धता की जानकारी ली जायेगी और साथ ही अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर वृक्षारोपण हेतु चिन्हित किया जायेगा. प्रत्येक वन प्रभाग में लैंड बैंक (Land Bank) का गठन करते हुए वृक्षारोपण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का समन्वय किया जायेगा. यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष घोषित किया जायेगा.

6.19 **वन पंचायतों में वृक्षारोपण :** प्रस्तर 6.3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जायेगा.

6.20 **पारम्परिक एवं बरगद आदि प्रजाति के वृक्षों का रोपण :** पारम्परिक प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल आदि के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पौधशाला में कुल उगाये गये पौधों का न्यूनतम पांच प्रतिशत (5%) पौधों के लिए निर्धारित किया जायेगा.

6.21 **नैसर्गिक रूप से खाली स्थानों में वृक्षारोपण :**

नैसर्गिक रूप से खाली स्थानों जैसे बुग्याल, दलदली क्षेत्र, घास के मैदान, रौखड़ इत्यादि में वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा.

6.22 **वन्य जीव सुरक्षा के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण :** वन्य जीव संरक्षण की दीर्घकालीन रणनीति (Strategy) के अनुसार वन्य जीव वासस्थल (Habitat) को विकसित करने के दृष्टिकोण से संवेदनशील वन क्षेत्र की [illegible] में वृक्षारोपण तदनुसार ही किया जायेगा. इसी प्रकार विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कॉरिडोर (Corridors) के निर्माणार्थ वृक्षारोपण किया जायेगा.

6.23 **वनों की उत्पादकता बढ़ाना :**

6.23.1 प्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु नई प्रजातियों को लगाने (Introduce करने) हेतु अनुसंधान वृत्त द्वारा गहन अध्ययन किया जायेगा. अध्ययनोपरान्त ही नई प्रजातियाँ लगाई जायेंगी.

6.23.2 विभिन्न वनोपज आधारित उद्योगों की कच्चे माल की आपूर्ति हेतु यूकेलिप्टस तथा पोपलर के वृक्षारोपण की आवश्यकता [illegible]. इस हेतु अच्छी गुणवत्ता के पौध तैयार करने के लिए उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज तथा क्लोनल/टिश्यू कल्चर पौधों को लगाया जाये।

6.23.3 [illegible]

6.23.4 [illegible] /गुणवत्ता की व्यवस्था [illegible] पर भी विचार किया जायेगा।

6.24 **प्राकृतिक वनों में अधोरोपण :** प्राकृतिक वनो मे मुख्य प्रजाति के अलावा सह प्रजातियो एवं क्षेत्र मे नैसर्गिक रूप से पाये जाने वाले पेड़ पौधों, झाड़ियों का अधोरोपण किया जायेगा.

6.25 **वृक्षारोपण संहिता :** उपरोक्त निर्देशों को फील्ड स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन हेतु विभाग द्वारा वृक्षारोपण संहिता बनाकर प्रसारित की जायेगी.

6.26 **शोध, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :**

6.26.1 वन विभाग द्वारा जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वाडिया इन्स्टीट्यूट आदि केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ निश्चित अन्तरालों पर समन्वय हेतु बैठकें आहूत की जायेंगी ताकि इन शोध संस्थानों में जो नवीनतम शोध हो रहे हो उनसे वन विभाग परिचित रहे और ऐसे शोधों का यथोचित उपयोग कर सकें.

6.26.2 वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्रीय का सघन दौरा कर वृक्षारोपण कार्यो का निरीक्षण व अनुश्रवण करेंगे ताकि अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय सुनिश्चित हो तथा क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी विभाग के लिए अधिक से अधिक सिद्ध हो सकें व उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो.

6.26.3 वृक्षारोपणों की सफलता सुनिश्चित करने एवं नियमित गुणात्मक सुधार हेतु विभागीय एवं केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य कराया जायेगा. प्रथम 03 वर्ष तक वन विभाग/वन पंचायत यह कार्य करेंगे. प्रत्येक 03 वर्ष के बाद केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा.

6.26.4 **अग्रिम बिक्री एवं सुरक्षा :** कामर्शियल प्लान्टेशन स्थलों (Commercial Plantation Sites) की विदोहन वर्ष तक प्रभावी सुरक्षा हेतु यथासम्भव उपभोक्ता इकाइयों को अग्रिम बिक्री (Advance Sale) की व्यवस्था लागू की जायेगी. इनकी लगातार प्रभावी सुरक्षा के लिए अन्य मॉडल भी विकसित कर आवश्यकतानुसार लागू किए जायेंगे.

7. **राज्य वृक्षारोपण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा :**

राज्य स्तर पर वृक्षारोपण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी.

8. **राष्ट्रीय वन नीति 1988 एवं उत्तरांचल वन नीति 2001 से सम्बन्ध:** राज्य वृक्षारोपण नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 एवं उत्तरांचल वन नीति 2001 के प्राविधानों के अधीन रहेगी.

डॉ0 रणवीर सिंह
सचिव

HC-1232

संख्या- 706(1)/X-2-2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तरांचल।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, नरेन्द्र नगर।
6. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तरांचल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया विज्ञप्ति को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की [illegible] सौ प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
11. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक उत्तरांचल।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
13. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
14. गार्ड फाइल (?)।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)

अनु सचिव